

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक: 23/87-2000 वि0-1121

दिनांक, चण्डीगढ़: 16-11-2000

दून पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21, पंचकुला को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से दसवीं स्तर तक की संबंधिता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे। विद्यालय एक मास के अन्दर-अन्दर नाम अनुसार लीज पर जमीन लेकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द/कस दिया जायेगा।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-

दिनांक, चण्डीगढ़ 16-11-2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ 1. जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला को उनके यादी क्रमांक जी-1/2000/1112 दिनांक 24-2-2000 के संदर्भ में।
- ✓ 2. दून पब्लिक स्कूल सेक्टर-21, पंचकुला।
- ✓ 3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत बिहार, नई दिल्ली-110092.

सहायक निदेशक वि0-1
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।

PRINCIPAL
Doon Public School
Sector-21, Panchkula HR

MANAGER
Doon Public School
Sector-21, Panchkula HR